RAJENDRA SINGH RANAWAT

Gram Panchayat-Hathodia, Post-Bihada, Tehsil-Jahazpur, District-Bhilwara (Raj).

Date: 03.05.2023

To,

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change,

Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road,

New Delhi-110 003

Subject: Submission of additional documents sought on 16.02.2023 for proposal no. IA/RJ/MIN/22536/2014 for my lease located at Tehsil-Deogarh District-Rajsamand Ml.No.02/2013

Reference: Letter of Additional Director Mines, Jaipur letter number: ANIKHA/JAY/EAC/2023/248 dated 10.03.2023

Dear Sir,

With reference to the subjected matter kindly refer to point number 2 of the Additional Director of Mines, Jaipur letter number ANIKHA/JAY/EAC/2023/248 dated 10.03.2023, clarifying the status of L.O.I. as desired.

The letter of Additional Director Mines, Jaipur letter number: ANIKHA/JAY/EAC/2023/248 dated 10.03.2023 is attached for your kind perusal.

Thanking You,

Rajendra Singh Ranawat

(Lessee)

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
खनिज भवन चतुर्थ तल,उधोग भवन के पीछे सी स्कीम जयपुर।
ईमेल admjaipur.mg@rajasthan.gov.in टेलीफोन नं0 2227505

क्रमांकः–अनिखा / जय / EAC / 2023 / 248

दिनांक :– 10/03/2023

सदस्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं मौसम परिवर्तन मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः EAC अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत जारी पर्यावरण अनुमति जारी करने के संबंध में।

प्रसंगः– एस0एल0पी0 10587 / 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2021 के तहत।

महादेय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संलग्न सूची में वर्णिति बजरी खनन क्षेत्रों के संबंध में EAC द्वारा वर्ष 2014–2016 से पर्यावरण अनुमति जारी करने की सिफारिश की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रासांगिक आदेश द्वारा EAC के द्वारा अनुशसित प्रकरणों में अविलम्ब पर्यावरण अनुमति जारी करने हेतु निर्देश दिये है साथ ही राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 5(4) के तहत उक्त एलओआई दिनांक 31.03.2023 को लेप्स हो जायेगी। अतः कृपया उक्त खनन क्षेत्रों हेतु पर्यावरण अनुमति शीघ्र जारी कराने का श्रम करावें। खनन क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. तहसील –पिपलु बनास में श्री अमन सेठी पुत्र श्री सोमप्रकाश सेठी (Propoal-IA/RJ/MIN/19966/2013)

   एलओआई धारक श्री सोमप्रकाश सेठी की मुत्यु होने के पश्चात, एलओआई की वैधता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे एलएलपी लम्बित होना एवं आदेश दिनांक 11.11.2021 के पश्चात नामान्तरण की कार्यवाही में समय लगा है। उक्त एलओआई वर्तमान में प्रभावशील है। उक्त प्रस्ताव पर EC जारी करने की अनुशंसा EAC द्वारा बैठक दिनांक 29–30.05.2015 से की जा चुकी है। अतः प्रकरण में पर्यावरण अनुमति जारी कराने का श्रम करावें।

2. तहसील–देवगढ़ मे श्री राजेन्द्र सिंह राजावत (Propoal-IA/RJ/MIN/22536/2014) उक्त एलओआई क्षेत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित 82 मामलों के अतिरिक्त है एवं जारी एलओआई राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 5(4) तहत प्रभावशाली है। उक्त प्रस्ताव पर EC जारी करने की अनुशंसा EAC द्वारा दिनांक 26.04.2016 से की जा चुकी है। अतः प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2021 की पालना में पर्यावरण अनुमति जारी कराने का श्रम करावें।

3. तहसील–सिरोही मे श्री भरत सिंह (Propoal-IA/RJ/MIN/6625/2013) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन 82 में सम्मिलित थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा एल.ओ.आई. दिनांक 14.02.2018 में अस्वीकृत/निरस्त कर दी गई थी। राज्य सरकार के उक्त आदेश के विरूद्ध दायर याचिका के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) नं0 714/2021 में आदेश दिनांक 13.10.2022 अस्वीकृति आदेश को set-aside कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय आदेश की पालना में एल.ओ.आई बहाल की गई हैं एवं एल.ओ.आई वर्तमान में प्रभावशील हैं। उक्त प्रस्ताव पर EC जारी करने की अनुशंसा EAC द्वारा दिनांक 23.02.2016–25.02.2016 से की जा चुकी है। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2021 की पालना में पर्यावरण अनुमति जारी कराने का श्रम करावें।

भवदीय

10/2/23

(बी.एस.सोढा)
अतिरिक्त निदेशक (खान),
जयपुर क्षेत्र, जयपुर